



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241633
CG-DL-E-03012023-241633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5935]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944

No. 5935]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6180(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 700(अ) तारीख 15.02.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारामहाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी. 644.400 (खुपसरवाडी से पार्डी (मक्ता) खंड), तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.03.2022" को "देशोन्नती" और "नवभारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी. 644.400 म.रा.म. 2 तक (खुपसरवाडी से पाडी (मक्ता) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अर्धापूर				
	गांव का नाम: अर्धापुर				
1	635	निजी	कृषि	0.0119	नारायण सदाशिव जोशी राघवेंद्र ज्ञानेश्वर पत्रेवार मिरा सुनिल मनाठकर समाईक (635)
2	635	निजी	कृषि	0.0464	विशाल विजयकुमार फब्बा व्यंकटेश ज्ञानेश्वर मुखेडकर समाईक ()
3	635	निजी	कृषि	0.0353	नारायण सदाशिव जोशी राघवेंद्र ज्ञानेश्वर पत्रेवार मिरा सुनिल मनाठकर समाईक (635)
4	635	निजी	कृषि	0.0044	संभाजी नारायण चाभरकर (635)
5	635	निजी	कृषि	0.0048	अशोक लक्ष्मण गदादे (635)
6	635	निजी	कृषि	0.0067	लक्ष्मणअप्पा तुळशीरामअप्पा गोमाशे (635)
7	635	निजी	कृषि	0.0016	ज्योती प्रभाकर रणविरकर (635)
8	635	निजी	कृषि	0.1335	केनाल (635)
			कुल	0.2446	

[फा. सं. NHA/LA/NH-361/2015/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

S.O. 6180(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.700 (E), dated 15.02.2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 644.400 on MSH2 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) Section) in Nanded District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Deshonati" and "Navbharat" both dated 25.03.2022, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 644.400 (Khupsarwadi To Pardi (Makta) of the National Highway-361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ardhapur				
	Village: Ardhapur				
1	635	Private	Agricultural	0.0119	Narayan Sadashiv Joshi Raghvendar Dyaneshwar Patrewar Mira Sunil Manthkar Joint 635
2	635	Private	Agricultural	0.0464	Vishal Vijaykumar Phabba Venkatesh Dyaneshwar Mudkhedkar Joint 635
3	635	Private	Agricultural	0.0353	Narayan Sadashiv Joshi Raghvendar Dyaneshwar Patrewar Mira Sunil Manthkar Joint 635
4	635	Private	Agricultural	0.0044	Sambhaji Narayan Chabarkar 635
5	635	Private	Agricultural	0.0048	Ashok Laxman Gadade 635
6	635	Private	Agricultural	0.0067	Laxmanappa Tulshiramappa Gomashe 635

7	635	Private	Agricultural	0.0016	Joyti Parbhakar Ranvirkar 635
8	635	Private	Agricultural	0.1335	Canal 635
			TOTAL	0.2446	

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

RAJESH GUPTA, Director